

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर(राज.)



प्रार्थी श्रीमती चुनीबाई

बनाम

श्रीमती अनसीबाई वगैरह

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 06/25 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	<p><u>दिनांक : 26.03.2025</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री भेरूलाल जाट द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में आगामी पेशी/जवाब पेश होने तक विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 185 पर दर्ज आराजी नम्बर 2377, 2378 किता 2 कुल रकबा 0.2671 हेक्टर भूमि में विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1, 2 में वर्णित प्रावधानों की पालना की जावे।</p> <p>विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 22.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली</p>	

21/04/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राचीगण मय
प्राचीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्राचीगण मय
प्राचीगण को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई।
समय साँचे 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता
प्राचीगण मय प्राचीगण अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता प्राचीगण मय प्राचीगण अनुपस्थित
रहने पर प्राचीगण का प्राचीना पत्र अहम हाजरी
अहम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
कैसल नुमांर लेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय हुआ गया।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली